रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 415] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 16, 1972/भाद्र 25, 1894

No. 415] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 16, 1972/BHADRA 25, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September 1972

S.O. 603(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 17th day of September, 1972 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter V and VI [except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Haryana namely:—

"Sat Road Khas, (Had Bast No. 154) and Sat Road Khurd (Had Bast No. 155) in Tehsil and District Hissar".

[No. S. 38013(12)/71-HI.]

DALJIT SINGH, Under Secy.

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1972

का० आ० 603 (अ).—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1972 के सितम्बर के 17वें दिन को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय IV (धारा 44 और 45 को छोड़कर, जिन्हें पहले ही प्रवृत्त किया गया है) और अध्याय V और VI [धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 को छोड़ कर, जिन्हें पहले ही प्रवृत्त किया गया है] के उपबन्ध हरियाणा राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"तहसील और जिला हिसार में सत रोड खास, (हद बस्त सं० 154) और सत रोड खुर्द (हद बस्त सं० 155)"।

[सं० एस० 38013(12)/71-एच० आई०]

दलजीत सिंह, अवर सचिव (एस एस)।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972